प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः5/ 193 /2022–5/10/2022 लखनऊ दिनांक 15 फरवरी 2023

विषय–पंचायत सहायक के तैनाती न होने की दशा में किसी अन्य कर्मियों के माध्यम से रेट्रोफिटिंग सर्वेक्षण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रमीण) के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय का रेट्रोफिटिंग से सम्बन्धित जारी शासनादेश संख्या–2081 दिनांक 03 अक्टूबर 2022 एवं 4346 दिनांक 27 दिसम्बर 2022 व स्टेट मिशन कार्यालय से जारी पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आप अवगत ही है कि पंचायत सहायकों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में रेट्रोंफिटिंग का कार्य किया जा रहा है तथा अद्यतन कुल लक्षित 2,92,74,880 के सापेक्ष सर्वे का कुल कमिक प्रगति 2,12,13,919 है, जो 72.46 प्रतिशत है तथा अभी भी 80,60,961 व्यक्तिगत शौचालयों का रेट्रोंफिटिंग सर्वे किया जाना शेष है।

सर्वे की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में कतिपय जनपद द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की तैनाती नही है अथवा उनके द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया है जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रहा है।

उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की तैनाती नही हो पायी है अथवा त्याग पत्र या अन्य कारणों से पद रिक्त है उन ग्राम पंचायतों में योजना हित में किसी अन्य कर्मियों के द्वारा रेट्रोंफिटिंग सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कराया जा सकता है। किसी अन्य कर्मियों से रेट्रोंफिटिंग सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में जनपद को स्वयं के स्तर से निर्णय लेकर रेट्रोंफिटिंग कार्य द्रुत गति से कराया जाना है। पंचायत सहायक के स्थान पर अन्य कार्मिक से रेट्रोंफिटिंग सर्वेक्षण कराये जाने हेतु SOP तैयार कर आप सभी पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही कर रेट्रोंफिटिंग सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें

संलग्नक – एस.ओ.पी.

भवदीय,

(एस0 एन0 सिंह)
उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्याः–5/ 193 /2022–5/10/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उ0प्र0।

उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:5/ 193 /2022–5/10/2022 लखनऊ दिनांक 15 फरवरी 2023

विषय–पंचायत सहायक के तैनाती न होने की दशा में किसी अन्य कर्मियों के माध्यम से रेट्रोफिटिंग सर्वेक्षण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रमीण) के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय का रेट्रोफिटिंग से सम्बन्धित जारी शासनादेश संख्या–2081 दिनांक 03 अक्टूबर 2022 एवं 4346 दिनांक 27 दिसम्बर 2022 व स्टेट मिशन कार्यालय से जारी पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आप अवगत ही है कि पंचायत सहायकों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में रेट्रोंफिटिंग का कार्य किया जा रहा है तथा अद्यतन कुल लक्षित 2,92,74,880 के सापेक्ष सर्वे का कुल कमिक प्रगति 2,12,13,919 है, जो 72.46 प्रतिशत है तथा अभी भी 80,60,961 व्यक्तिगत शौचालयों का रेट्रोंफिटिंग सर्वे किया जाना शेष है।

सर्वे की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में कतिपय जनपद द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की तैनाती नही है अथवा उनके द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया है जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रहा है।

उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की तैनाती नही हो पायी है अथवा त्याग पत्र या अन्य कारणों से पद रिक्त है उन ग्राम पंचायतों में योजना हित में किसी अन्य कर्मियों के द्वारा रेट्रोंफिटिंग सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कराया जा सकता है। किसी अन्य कर्मियों से रेट्रोंफिटिंग सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में जनपद को स्वयं के स्तर से निर्णय लेकर रेट्रोंफिटिंग कार्य द्रुत गति से कराया जाना है। पंचायत सहायक के स्थान पर अन्य कार्मिक से रेट्रोंफिटिंग सर्वेक्षण कराये जाने हेतु SOP तैयार कर आप सभी पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही कर रेट्रोंफिटिंग सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें

संलग्नक - एस॰ओ॰पी॰

भवदीय,

(एस0 एन0 सिंह)
उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्याः–5/ 193 /2022–5/10/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उ0प्र0।

उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।